झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषय : राज्य सरकार के समूह 'घ' के कर्मियों को ग्रेड–पे रु० 1800/– एवं रु० 1650/– की स्वीकृति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा दिनांक 01.04.2010 के प्रभाव से वास्तविक वित्तीय लाभ दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार अपने सभीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें देने के बिन्दु पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार के तर्ज पर राज्यकर्मियों के लिए दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान लागू है।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1859/वि॰, दिनांक 02.09.2011 के द्वारा राज्य सरकार ने षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा तथा झारखण्ड राज्य में व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए समूह 'घ' कर्मियों की अवधारणा को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार के समूह 'घ' के कर्मियों को दिनांक 01.04.2011 के प्रभाव से उत्क्रमित ग्रेड–पे रु॰ 1800/– एवं रु॰ 1650/– स्वीकृत किया है।

3. झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में दिनांक 06.12.2012 को सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के समूह 'घ' के कर्मियों को उत्क्रमित ग्रेड–पे का वैचारिक लाभ दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से तथा वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2010 के प्रभाव से स्वीकृत किये जाने संबंधी मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस विषयक सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

(i) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1859/वि० दिनांक 02.09.2011 के द्वारा राज्य के समूह 'घ' के कर्मियों को उत्क्रमित ग्रेड–पे का वैचारिक लाभ दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से तथा वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2010 के प्रभाव से स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1859/वि० दिनांक 02.09.2011 के शेष निर्णय यथावत रहेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लें॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 6 / एस–4(वे०पु०)–04 / 2011 449 रॉंची, दिनांक 22/02/2013
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6 / एस–4(वे०पु०)–04 / 2011 449 राँची, दिनांक 22/02/2013
प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची / निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6 / एस–4(वे०पु०)–04 / 2011 449 राँची, दिनांक 22/02/2013
प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–6ए को उपलब्ध करावें।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6 / एस–4(वे०पु०)–04 / 2011 449 राँची, दिनांक 22/02/2013
प्रतिलिपि : वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।